

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी

शुक्रवार, 9 अक्टूबर, 1998/आश्विन 17, 1920 शक

संख्या : 424

सदस्यों की नजरबन्दी एवं रिहाई

मुझे माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी जिला, नई दिल्ली से निम्नलिखित संसूचना दिनांक 8.10.1998 को प्राप्त हुई है :-

"मुझे आपको सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यगण श्री परवेज हाशमी, विधायक, ओसला, चौ. शीश पाल, विधायक, तुगलकाबाद एवं श्री मतीन अहमद, विधायक, सीलमपुर को जामिया-मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय परिसर में रास्ता रोकने एवं पुलिस के विधिसम्मत निर्देशों का पालन न करने के कारण उनके 82 समर्थकों सहित, जिनमें 3 महिलाएं भी थीं, को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत दिनांक 7.10.1998 को 1.45 बजे अपराह्न से 5.30 बजे तक थाना लाजपत नगर में नजरबन्द रखा गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् 7.10.1998 को अपराह्न 5.30 बजे रिहा कर दिया गया।"

पी.एन. गुप्ता  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters )  
Friday, October 09, 1998 / Ashvina 17, 1920 (Saka)

No. 424

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Addl. Dy. Commissioner of Police, South District, New Delhi on 08.10.1998 :-

" I have the honour to inform you that Shri Parvez Hashmi, MLA, Okhla, Ch. Shish Pal, MLA, Tughalakabad and Shri Matin Ahmed, MLA, Seelampur alongwith 82 supporters were detained u/s 65 of Delhi Police Act at Police Station Lajpat Nagar from 1.45 P.M. to 5.30 P.M. on 07.10.98, for creating hindrance and stopping the work and traffic at Jamia Milia Islamia University.

They were released at 5.30 P.M. on the same day i.e.07.10.1998."

P.N. GUPTA  
SECRETARY